

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।  
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी०डी०ओ०,  
श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था०/०४/२०२४/ ९८१९-७३

दिनांक: २/०४/२४

विषय:-

**Regarding extension in services of employees engaged through  
HKRNL in Labour Department, Haryana.**

\*\*\*\*\*

में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ७६४०-९५ दिनांक १३.०३.२०२४ के संदर्भ

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि श्रम आयुक्त महोदय द्वारा संविदात्मक आधार पर (हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से) कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी एक वर्ष दिनांक ३१.०३.२०२५ तक बढ़ाने बारे सहमति प्रदान की गई है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा विस्तार दिनांक ०१.०४.२०२४ से ३१.०३.२०२५ तक बढ़ाने बारे कार्यवाही हरियाणा कौशल रोजगार निगम, पंचकुला के पोर्टल पर डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र अति शीघ्र करें।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

*cut*  
सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक:- स्था०/०४/२०२४/

दिनांक:-

पत्र की प्रति श्री रीगल चौधरी, उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-नोडल अधिकारी (एच०के०आर०एन०एल०), मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि श्रम विभाग (मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों) में कार्यरत सभी संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा विस्तार दिनांक ०१.०४.२०२४ से ३१.०३.२०२५ तक करने बारे आवश्यक कार्यवाही करें।

*sd*  
सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।